लखनऊ नगर निगम

मा0 कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक (पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19) दिनांक 15.10.2018 को सायं 05:00 बजे बाबू राज कुमार श्रीवास्तव कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1	श्रीमती संयुक्ता भाटिया	मा0 अध्यक्ष/महापौर
2	श्री अरुण कुमार तिवारी	मा0 उपाध्यक्ष
3	श्री अजय दीक्षित	मा0 सदस्य
4	श्री गिरीश कुमार मिश्रा	मा0 सदस्य
5	श्री मो0 सगीर	मा0 सदस्य
6	श्री राज कुमार सिंह	मा0 सदस्य
7	श्री राजेश कुमार मालवीय	मा0 सदस्य
8	श्री राजेश सिंह	मा0 सदस्य
9	श्री सुशील कुमार तिवारी	मा0 सदस्य
10	श्री विमल तिवारी	मा0 सदस्य

अन्य उपस्थिति :–

1. नगर आयुक्त
2. अपर नगर आयुक्त (श्री अमित कुमार)
3. अपर नगर आयुक्त (श्री अनिल कुमार मिश्र)
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5. मुख्य अभियन्ता
6. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
7. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (समिति)
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता
9. समस्त जोनल अधिकारी
10. तहसीलदार
11. समस्त नगर अभियन्ता
12. उद्यान अधीक्षक
13. संयुक्त निदेशक (प0क0)
14. मुख्य अभियन्ता (वि0/याँ0)
15. महाप्रबन्धक, जलकल
16. सचिव, जलकल
17. कार्यालय अधीक्षक(अधिष्ठान)

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जब से नगर निगम बना तब से आज तक इतिहास में मा0 सदन/कार्यकारिणी समिति की बैठक देर रात तक तो चली हैं लेकिन बैठक सायं 5.00 बजे गोधूलि बेला में कभी नहीं बुलायी गयी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक सायं 5.00 बजे आहूत करनी पड़ी। प्रेस में सूचना कैसे जाएगी ? अधिकारी/कर्मचारी भी दिन भर काम करने के बाद थके व परेशान होंगे।

अध्यक्ष ने बताया कि गुजरात के मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित था, पूर्वाह्न में व्यस्तता थी, चूँकि पूर्व मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में आज की तिथि निश्चित की गयी थी, इसलिए आज सायं 5.00 बजे बैठक बुलायी गयी है।

श्री गिरीश मिश्रा ने पुनः कहा कि नवरात्रि चल रहे हैं, तमाम लोगों का व्रत होगा। अधिकारी/कर्मचारी, पत्रकार सबको परेशानी होगी। अनुरोध है कि भविष्य में सुविधाजनक समय पर ही बैठक बुलायी जाए।

नगर आयुक्त ने अध्यक्ष की अनुमति से पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 के सम्बन्ध में निम्नवत् अपना अभिभाषण पढ़ा :–

मानणीय अध्यक्ष महोदय
एवं
मा0 सदस्य कार्यकारिणी समिति

मान्यवर,

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 147 के अन्तर्गत दिये गये नियमों एवं प्राविधानो के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ का पुनरीक्षित वजट वर्ष 2018–2019, राजस्व, पूँजी एवं उच्चन्त लेखा की आय (प्राप्तियां) और व्ययों के विवरण के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है :–

आय पक्ष

(क) <u>राजस्व लेखा</u> :

इस मद मे नगर निगम के विभिन्न स्रोतो से प्राप्त होने वाली आय संकलित की जाती है इसमें आय का मुख्य स्रोत, कर / करेत्तर की वसूली है। पुनरीक्षित वजट में करों की दरों का निर्धारण पूर्ववत रखा गया है कोई नया कर नहीं लगाया गया है। शासन की योजना ई–गर्वनेंस के अन्तर्गत ई–सुविधा के माध्यम से जोन वाइज गृहकर की धनराशि वसूल की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष मे अगस्त 2018 तक 8 जोनों की केवल गृहकर की कुल आय रू0 9274.07 लाख हुई है। आय पक्ष के राजस्व लेखा में कुल रु0 3840.00 लाख, पूंजी लेखा में रू0 5800.00 लाख की बढ़ोत्तरी की गयी है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

इस प्रकार राजस्व लेखों में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 में मूल प्राविधान रू0 186017.00 लाख के स्थान पर रू0 9640.00 लाख की बढ़ोत्तरी के साथ पुनरीक्षित प्राविधान रू0 195657.00 लाख की आय का प्राविधान प्रस्तावित किया जाता है।

(ख) पूँजी लेखा :

पूँजी लेखा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य शासकीय कार्यालयों से प्राप्त होने वाली धनराशि को संकलित किया जाता है जैसे–विधायक निधि, सांसद निधि, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं, 14वां वित्त आयोग, डिपाजिट मद आदि।

इस प्रकार पूंजी लेखा की आय के प्राविधान को मूल बजट 2018–19 में दिये गये प्राविधान रू0 73015.00 लाख के स्थान पर पुनरीक्षित प्राविधान रू0 78815.00 मात्र का प्राविधान राज्य सरकार से समग्र विकास निधि, नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रस्तावित किया गया है।

(ग) उच्चन्त लेखा :

इस मद में मूल प्राविधान रू0 2702.00 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित बजट में भी रू0 2702.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार राजस्व, पूँजी तथा उच्चन्त लेखों की सम्भावित आय के आधार पर मूल बजट 2018–2019 के प्राविधान रू0 186017.00 लाख के स्थान पर आय पक्ष में रू0 195657.00 लाख का पुनरीक्षित प्राविधान प्रस्तावित किया जाता है ।

व्यय पक्ष

(क) राजस्व लेखा :

इस मद में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समग्र रूप से विकास /निर्माण तथा अनुरक्षण/ मरम्मत के कार्यों और जनहित के कार्यों– सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, जल निस्तारण तथा अन्य आवश्यक कार्यों एवं समस्त प्रकार के अधिष्ठान पर होने वाले व्ययों की व्यवस्था की गयी है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

विकास व निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जोनल कार्यालयों के निर्माण, अनुरक्षण /मरम्मत, नगर निगम विकास निधि के अन्तर्गत मरम्मत और नवीनीकरण तथा अन्य सभी प्रकार के होने वाले व्ययों की व्यवस्था इस मद में की जाती है। पुनरीक्षित बजट के कुछ अधिष्ठान मदों में बढ़ोत्तरी के साथ ही लखनऊ शहर के सर्वांगीण विकास के मुख्य बजट मदों में प्राविधान की व्यवस्था दी गई है जो निम्नवत् है :–

Scanned by CamScanner

(रू0 लाख में)

क्र0	मद का नाम	मूल प्राविधान	पुनरीक्षित प्राविधान
1	समस्त अधिष्ठान मद	37242.00	37897.00

विकास कार्यों हेतु

1	संयंत्र और आकस्मिक व्यय	1000.00	1700.00
3	नये निर्माण	500.00	500.00
4	मरम्मत/नवीनीकरण	6000.00	14000.00
6	शहरी निर्धन	2000.00	2000.00
7	अवस्थापना निधि	8000.00	11000.00
8	अन्य मद	2500.00	3500.00

इस प्रकार राजस्व लेखे के अन्तर्गत मूल बजट 2018–2019 के व्यय की प्रस्तावना रू0 94022.05 लाख के स्थान पर पुनरीक्षित बजट के व्यय की प्रस्तावना रू0 108677.05 लाख प्रस्तावित की गई है।

(ख) पूँजी लेखा :

इस मद में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं शासकीय कार्यालयों से प्राप्त धनराशि से किए गए व्यय का संकलन किया जाता है जैसे–14वां वित्त, सांसद निधि, विधायक निधि, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं, डिपाजिट मद आदि। अतएव मूल बजट 2018–19 में पूंजी लेखा में रू0 73215.00 लाख के स्थान पर रू0 79015.00 लाख का व्यय प्राविधान पुनरीक्षित बजट 2018–19 में प्रस्तावित किया जाता है।

(ग) उच्चन्त लेखा :

इस मद के अन्तर्गत मूल बजट 2018–19 के प्राविधान रू0 2701.00 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित बजट 2018–19 में रू0 2701.00 लाख का व्यय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रकार नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से विकास एवं निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, नाला–नालियों और सड़को की सफाई व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण सहित एवं अन्य विभिन्न प्रकार के विकास को चहुमुखी दिशा देने के लिए विकास कार्यों को कराया जाना प्रस्तावित किया जाता है। शासन के निर्देशानुसार स्टाम्प शुल्क, 14वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि अवस्थापना आदि से प्राप्त होने वाली आय के अनुरूप ही विकास को दिशा दिये जाने हेतु व्ययों को समाहित कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

अतएव उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–2019 के आय पक्ष में प्रस्तावित कुल आय रू0 195657.00 लाख में रू0 23289.55 लाख प्रारंभिक अवशेष मिलाकर सकल आय रू0

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

218946.55 लाख तथा सकल व्यय रू0 190393.05 लाख की प्रस्तावना प्रस्तावित की गई है। आय–व्ययक के पारस्परिक समायोजनोपरान्त रू0 28553.50 लाख अंतिम अवशेष के साथ पुनरीक्षित बजट 2018–2019 मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ह0/–
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
नगर आयुक्त

नगर आयुक्त ने कहा कि हम लोग निरन्तर आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मा0 कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गृहकर में बढ़ोत्तरी हुई है। नये मानक के अनुसार और आगे जा सकते हैं। मा0 कार्यकारिणी समिति के सहयोग से नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। आप लोगों के मार्गदर्शन में नगर निगम को, जहां रास्ते खतम होते हैं, उस ऊँचाई तक ले जाने चाहते हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आज पुनरीक्षित बजट नगर आयुक्त जी ने प्रस्तुत किया है, पास कर दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मा0 अध्यक्ष ने बैठक सायं 5.00 बजे बुलायी और कहा है कि जल्दी ही बजट पास कर लिया जाए।

अध्यक्ष ने कहा कि बजट पर विस्तार से चर्चा करें, कोई समय–सीमा नहीं है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मेरा आशय यह है कि मा0 कार्यकारिणी समिति से कोई चीज सदन में जाए तो छन कर जाए, जो संस्तुति हो उस पर उंगली न उठे। मा0 कार्यकारिणी समिति संस्तुति करे उस पर सदन में उंगली उठे तो यह गलत है। कैबिनेट कोई चीज बहुमत से पास करती है तो यह सोचकर पास करती है कि सदन अनुमोदित करेगा। इसलिए बजट पर विन्दुवार चर्चा की जाए। बजट पर निर्णय ले करके मा0 सदन भेजा जाए। बजट लाभ का है या हानि का, बताया जाए?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि बजट लाभ का है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि कि बजट कितने लाभ का है?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि रु0 52.64 करोड़ लाभ का बजट है।

नगर आयुक्त ने कहा कि बजट में मार्च, 2019 तक पूरे वित्तीय वर्ष की प्राप्तियां रखी गयी हैं। बजट की रूपरेखा वित्तीय नियम को दृष्टिगत रखकर बनायी जाती है। पैसा आज की तिथि में होना आवश्यक नहीं है। प्राविधान के अनुसार समय–समय पर प्राप्तियां होती है, लेकिन आज की तिथि में पैसा नहीं है। जैसे–जैसे प्राप्तियां होती हैं, लाइबिलिटी कम की जाती है। बजट में जो वार्ड विकास प्राथमिकता राशि प्रस्तावित की गयी थी, उसमें कमी नहीं है। रु0 60.00 करोड़ से आगे वार्ड विकास के लिए और

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

पैसे की आवश्यकता है इसलिए पुनरीक्षित प्राविधान बढ़ाने के लिए पुनरीक्षित बजट मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जब हम रू0 52.00 करोड़ लाभ में हैं तो भुगतान होना चाहिए।

नगर आयुक्त ने कहा कि बजट प्राविधान अनुमान के आधार पर बनाया जाता है। बजट में मार्च, 2019 तक का अनुमान है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अगस्त तक हम क्या हानि में हैं।

उपाध्यक्ष ने कहा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वसूली अधिक हुई है, लेकिन क्या हम लक्ष्य पूरा कर लेगें ?

श्री गिरीश मिश्रा एवं अन्य सदस्यों द्वारा बजट में प्राविधानित आंकड़ों की समीक्षा की गयी।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि हम तरक्की कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष जी और नगर आयुक्त जी को बधाई। हम विगत चार बैठकों से प्रस्ताव रख रहे हैं कि मा0 कार्यकारिणी समिति की जोनवार उप समितियां गठित की जाएं। आश्वासन दिया जाता रहा है लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। क्या यह सम्भव नहीं है कि निगरानी समितियां पूर्व की भांति गठित की जाएं ?

अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आवश्यकता पड़ेगी तो निगरानी समितियां गठित की जाएंगी। आज केवल बजट पर चर्चा की जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मूल बजट और पुनरीक्षित बजट के आंकड़ों में अन्तर है, किसे सही माना जाए ? वृहद्योग में भी अन्तर है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 कार्यकारिणी समिति में कुछ प्राविधान बढ़ाये गये थे इसलिए मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत मूल बजट की कापी और इस पुनरीक्षित बजट की कापी में प्राविधान के आंकड़ों में अन्तर है।

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि आंकड़ों का परीक्षण कर लिया जाए।

श्री गिरीश मिश्रा एवं अन्य मा0 सदस्यों द्वारा बजट में प्राविधानित आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा व गहन समीक्षा की गयी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आय और व्यय के आंकड़े समान है तो लाभ का बजट कैसे हुआ ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि आय और व्यय बराबर होता है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आय बढ़ी है, सम्पत्ति कर बढ़ा है तो प्राविधान क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं ?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि डिमाण्ड फिल्टर की गयी है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

श्री गिरीश मिश्रा ने जोनवर आय की समीक्षा करते हुए कहा कि जोन–1 व जोन–5 की वसूली अच्छी है तथा जोन–6 की भी वसूली अच्छी है। जोन–5 में वसूली और होनी चाहिए क्योंकि कृष्णानगर में एक लाइन से बारातघर व व्यावसायिक दुकानें है।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि जोन–6 में भी बड़े–बड़े लॉन है, बारात घर हैं, वहां से भी वसूली बढ़ायी जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने पूछा कि दिनांक 01.4.2014 से टैक्स रिवाइज क्यों नहीं जाता है ? जबकि 01.04.2014 से शासन ने अनावासीय भवनों की नियमावली बना दी है। जोनल अधिकारी दिनंक 01.4.2014 से टैक्स क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हैं ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि 01.04.2010 का रिवाइज रेट नये बने भवनों पर लागू कर रहे हैं। पुराने भवनों पर लागू करने पर, ज्यादातर भवनों पर हानि हो रही है। इसलिए 01.04.2010 का रिवाइज रेट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि जितने गेस्ट हाउस/बारातघर हैं, उन पर व्यावसायिक टैक्स बढ़ाया जाए।

जोनल अधिकारी जोन–3 ने अवगत कराया कि व्यावसायिक टैक्स बढ़ाया गया है।

श्री गिरीश मिश्रा ने भी कहा कि व्यावसायिक भवनों का किराया बहुत है, व्यावसायिक भवनों पर टैक्स बढ़ना चाहिए। चारबाग के जितने होटल जोन–2 से जोन–1 में आए हैं, सभी होटलों का सर्वे किया गया, आय बढ़ी है।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि अच्छी वसूली करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए।

श्री गिरीश मिश्रा एवं अन्य सभी सदस्यों ने कहा कि जोन–1 की वसूली अच्छी हुई है। जोनल अधिकारी जोन–1 को बधाई और शाबाशी दी जाती है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि सामान्य कर मद में जोनवार पुनरीक्षित प्राविधान कम किया गया है। मूल बजट में जो प्राविधान था वही रखा जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने भी कहा कि जो कर्मचारी/अधिकारी अधिक वसूली करें, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि कदम रसूल वार्ड में कैम्प लगवाकर वसूली बढ़ायी गयी है। इसी तरह वार्डवार कैम्प लगवाकर वसूली बढ़ायी जाए।

अपर नगर आयुक्त श्री अमित कुमार ने कहा कि कुछ जोनों में वसूली कम हो पाती है। मा0 पार्षदों का सहयोग मिले तो वसूली अच्छी हो सकती है।

मा0 सदस्यों ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

संयुक्त निदेशक (प0क0) श्री ए0के0 राव ने कहा कि कुत्तों पर कर मद में प्राविधान रु0 50.00 लाख रखा गया है जो बहुत अधिक है, इतनी वसूली कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्राविधान को कम करके रु0 20.00 लाख किया जाए।

सर्वसम्मति से आय पक्ष में मद सं0 1—8 कुत्तों पर कर मद में रु0 50.00 लाख के स्थान पर रु0 25.00 लाख किया गया।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आय पक्ष में मद संख्या—1—9 विज्ञापनों पर कर—इस मद में आगे एक पैसा भी मिलने की उम्मीद नहीं है। पुनरीक्षित प्राविधान क्यों बढ़ाया गया है ?

श्री अजय दीक्षित ने कहा कि दो पैर वाली होर्डिंग्स कितनी कटी हैं।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि जोन—2 एवं 3 में 23 होर्डिंग्स काटी गयी हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जो टेण्डर छः माह पूर्व हो जाने चाहिए थे, आज तक नहीं हो पाए हैं। मार्च में टेण्डर हो जाने चाहिए थे। जी0एस0टी0 के अनुसार सभी होर्डिंग्स कट जानी चाहिए थीं, लेकिन आज तक नहीं कटीं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि शहर में लगी सभी होर्डिंग्स कटवायी जाएं।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि तीन गैस कटर भी होर्डिंग्स काटने के लिए मंगाए गये हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि नालों की सफाई का परीक्षण कर लिया जाए, जिन ठेकेदारों ने नालों की सफाई नहीं करायी है, दीपावली के पूर्व नालों की सफाई करायें, तभी भुगतान किया जाएगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 विधायक जो सबमर्सिबल पम्प लगवा रहे हैं, मोहल्ला समिति मेन्टीनेन्स करेगी और बिजली का बिल भी देगी। इसी तरह नगर निगम द्वारा जो सबमर्सिबल पम्प लगें, उनकी मेन्टीनेन्स स्थानीय मोहल्ला कमेटी बनाकर की जाए।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि सबमर्सिबल पम्प के लिए नियम बनना चाहिए। क्योंकि लोग सबमर्सिबल पम्प से कनेक्शन लेते हैं और अधिक लोड पड़ने पर सबमर्सिबल पम्प खराब हो जाते हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि व्यय पक्ष में मद सं0 5—3(ख) मरम्मत और नवीनीकरण मद में रु0 140.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो कम है और बढ़ाया जाए। रु0 95.00 लाख प्रति वार्ड विकास प्राथमिकता राशि, वित्तीय वर्ष 2017—18 का रु0 15.00 लाख प्रति वार्ड प्राथमिकता राशि, रु0 10.00 करोड मा0 महापौर संस्तुति राशि और बाकी पैच वर्क के लिए प्राविधान किया गया। नगर आयुक्त

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner

संस्तुति राशि और इमरजेन्सी वर्क–पुलिया, क्रासिंग आदि की मरम्मत के लिए प्राविधान और बढ़ाया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि आय को दृष्टिगत रखते हुए इसमें प्राविधान बढ़ाना उचित नहीं है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मोहन मार्केट आदि का बढ़ा किराया वसूल किया जाए, जिससे आय बढ़ सके।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री महत्तम यादव ने बताया कि नोटिसें भेजी गयी हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पुनरीक्षित बजट में पेशाबघर, टीकारण, ब्लीचिंग, स्कूलों की मरम्मत आदि जनहित के कार्यो पर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री मो0 सगीर ने कहा कि वार्ड विकास प्राथमिकता राशि की तीसरी और चौथी किश्त जारी की जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा0 सदन में वार्ड विकास प्राथमिकता राशि का जो फ्रेम बनाया गया है उसी के हिसाब से किश्ते जारी की जाएंगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि व्यय पक्ष में मद सं0 5–3(ख) मरम्मत और नवीनीकरण मद में रु0 25.00 करोड़ बढ़ाया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि आय भी तो बढ़नी चाहिए।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि यूनिपोल का टेण्डर निकाला जाए, आय बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष ने कहा कि मरम्मत और नवीनीकरण मद में कम से कम रु0 15.00 करोड़ और बढ़ा दिया जाए।

नगर आयुक्त ने अनुरोध किया कि आय को दृष्टिगत रखते हुए इसमें प्राविधान न बढ़ाया जाए।

संकल्प संख्या (114) :– विचारोपरान्त निम्न आंशिक संशोधन सहित नगर निगम पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 अंगीकार किया गया।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

मद सं0	आय के शीर्षक	प्रस्तावित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
1–8	कुत्तों पर कर	रू0 50.00 लाख	रू0 25.00 लाख

मद सं0	व्यय के शीर्षक	प्रस्तावित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
5–3–ख	मरम्मत एवं नवीनीकरण	रू0 14000.00 लाख	रू0 15500.00 लाख

इस प्रकार नगर निगम, लखनऊ के पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–2019 में प्रस्तावित राजस्व, पंजी एवं उच्चन्त लेखों की कुल आय रु0 195632.00 लाख, जिसमें प्रारम्भिक अवशेष को सम्मिलित करते हुए सकल आय रु0 218921.55 लाख एवं सकल व्यय रु0 191893.05 लाख के समायोजनोपरान्त रु0 27028 लाख के अंतिम अवशेष के साथ अंगीकार किया गया।

Scanned by CamScanner

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने अध्यक्ष की अनुमति से पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 के सम्बन्ध में निम्नवत् अपना अभिभाषण मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया :–

जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ
वित्तीय वर्ष 2018–19 के पुनरीक्षित बजट का सारांश

माननीय महापौर/अध्यक्ष महोदया,
एवं
मा0 सदस्यगण कार्यकारणी नगर निगम

मान्यवर,

जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2018–19 के पुनरीक्षित बजट को प्रस्तुत करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदया एवं माननीय सदस्यगण का सादर अभिनन्दन करता हूँ।

जलकल विभाग का मुख्य कार्य लखनऊ नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था का सुचारू रूप से रख–रखाव करना तथा जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था के संचालन हेतु नगर के उपभोक्ता से जलकर/सीवरकर/राजस्व वसूली करना है। लखनऊ नगर की पेयजल एवं सीवर व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, नयी योजनाओं को बनाने उनके कियान्वयन का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जलापूर्ति एवं सीवर सम्बन्धी योजनायें पूरी करके जलकल विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाती है उनका रख–रखाव जलकल विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि गोमती नगर–ऐशबाग– द्वितीय जलकल से जुडे क्षेत्रो में जलापूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के जो कार्य जलनिगम द्वारा किये जाते है उनसे सम्बन्धित क्षेत्रो में नयी आय सृजित नहीं होती है साथ ही जलकल विभाग के टैरिफ में मार्च 2001 के बाद कोई बढोत्तरी नही हुई है फिर भी जलकल विभाग नई मागों का सृजन कर और मोहल्ले मोहल्ले कैम्प लगाकर व ऑन लाइन बिलिंग के माध्यम से वसूली बढ़ाते हुये अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। समस्त कर्मचारियों एवं पेन्शनरों को प्रत्येक माह 7वाँ वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन, पेन्शन एवं ए0सी0पी0 लागू कर तदानुसार का भुगतान किया जा रहा है तथा जल एवं सीवर व्यवस्था का सफलता पूर्वक संचालन एवं अनुरक्षण कर लखनऊ नगर की जनता को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। संसाधनों की कमी के बावजूद लखनऊ महानगर में जलकल विभाग द्वारा जनता को पेयजल आपूर्ति व सीवर व्यवस्था को चलाने में माननीय महापौर महोदया व समस्त माननीय पार्षदो का विशेष सहयोग रहा है जिसके लिये जलकल विभाग उनका आभारी है।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ का वित्तीय वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट पूर्व में माननीय सदन की बैठक में पारित किया जा चुका है तत्क्रम में 01 अप्रैल, 2018 से 30 सितम्बर, 2018 तक के बजटीय आकड़ो के आधार पर तथा

Scanned by CamScanner

अक्टूबर 18 से मार्च 2018 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित बजट 2018–19 माननीय कार्यकारणी नगर निगम के समक्ष निम्नानुसार विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आय पक्ष

आय पक्ष में जलकल विभाग को जलकर/सीवरकर/जलमूल्य आदि मदों से प्राप्त होने वाली आय को संचालन आय के मद में व शासन से प्राप्त होने वाले ऋण, अनुदान आदि को असंचालन आय के मद में पृष्ठ संख्या 5 से 8 पर दर्शाया गया है जिसका सक्षिप्त मदवार विवरण निम्नवत है:–

(अ) संचालित आय :–

संचालित आय के अर्न्तगत शामिल विभिन्न मदों जलकर, जलमूल्य, मीटर भाड़ा सीवर कर, विकास शुल्क, अन्य प्राप्तियां व विद्युत देयको के प्रति शासकीय देयता के मद में मूल बजट रु0 29212.00 लाख प्राप्तियों का अनुमान किया गया था जिसके विरुद्ध सितम्बर–18 तक रु0 5911.85 लाख की प्राप्तियां हुई। संचालन आय मद में शेष पाँच माहों में उपरोक्तानुसार लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायगा। विस्तृत विवरण पृष्ठ सं0 5–6 पर दिया गया है। आन लाइन बिलिंग के माध्यम से जलकर मे वृद्धि हो रही है तदानुसार जलकर के मद को पुनरीक्षित किया गया है। अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

क0सं0	मद का नाम	2018–19 हेतु पुनरीक्षित आय
	प्रारम्भिक अवशेष	12.80 करोड
1	जलकर	154.30 करोड
2	जलमूल्य	25.58 करोड
3	मीटर भाड़ा	0.07 करोड
4	सीवर कर	20.77 करोड
5	विकास शुल्क	2.50 करोड
6	अन्य	5.00 करोड
7	विघुत बिलों हेतु शासकीय देयता	83.90 करोड
	योग:–	**304.92 करोड**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

व्यय पक्ष

(ब) संचालित व्यय :– इस शीर्षक के अर्न्तगत अधिष्ठान, विद्युत एवं ऊर्जा, पूर्तिया एवं रसायन, सामान्य मरम्मत, अन्य, ब्याज, उपकर आदि न होने वाले व्ययों को शामिल किया गया है। मूल बजट 2018–19 में उक्त हेतु रु0 31701.92 लाख का प्राविधान

Scanned by CamScanner

किया गया था जिसके विरुद्ध सितम्बर–18 तक वास्तविक व्यय रु0 14679.57 लाख हुआ। उक्त का मदवार विस्तृत विवरण पृष्ठ सं0 5–6 पर देखा जा सकता है। विद्युत एवं ऊर्जा दरो में वृद्धि व माह मई 18 व जून 18 में गोमती नदी से प्राप्त कच्चा जल मानक से कई गुना गन्दा आने वे टर्बिटी की मात्रा बढ़ जाने के कारण जल शोधन प्रक्रिया मे रसायनो का अधिक प्रयोग हुआ। अतः इन दो मदो मे प्राविधान पुनरीक्षित किया गया है अन्य मदो में पृष्ठ सं0 11 से 14 पर अंकित सामान्य मरम्मत, पूंजीगत व्ययों के आन्तरिक फांट में परिवर्तन हुआ है परन्तु मूल प्राविधान यथावत् हैं तदानुसार पृष्ठ सं0 5–6 पर अंकित है।

(स) असंचालित आय :– इस शीर्षक के अन्तर्गत अग्रिमों की वापसी, डिपाजिट कार्य हेतु अग्रिम, अग्रिम ऋण एवं अनुदानों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को शामिल किया गया है उवं मूल बजट में इस शीर्षक के अन्तर्गत रु0 1975.05 लाख की आय प्रस्तावित थी जिसके विरुद्ध सितम्बर–18 तक 1351.67 लाख वास्तविक प्राप्ति हुई। गए है जिसका विवरण पृष्ठ सं0 8 देखा जा सकता है।

(द) असंचालित व्यय :– इस शीर्षक के अन्तर्गत ऋण एवं मूलधन की वापसी, पूंजीगत व्ययों, डिपाजिट कार्य, अनुदान एवं ऋण आदि के व्ययों को शामिल किया गया है जिस हेतु वर्ष 2018–19 के मूल बजट में रु0 3643.06 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके विरुद्ध सितम्बर–18 तक 2068.92 लाख व्यय हो चुकें है पृष्ठ सं0 8 पर विस्तृत रुप से प्रदर्शित किये गए है।

क0सं0	मद का नाम		2018–19 हेतु पुनरीक्षित व्यय
1	अधिष्ठान व्यय		181.30 करोड
2	विधुत एवं ऊर्जा		90.00 करोड
3	पूर्तियॉ एवं रसायन		14.42 करोड
4	सामान्य मरम्मत		23.05 करोड
5	अन्य		4.65 करोड
6	देय व्याज		3.54 करोड
7	उपकर		0.05 करोड
	योगः–		**317.01 करोड**

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

यद्यपि विद्युत एवं ऊर्जा दरो में वृद्धि व माह मई, जून 18 में अधिक वर्षा होने के कारण गोमती नदी मे गन्दा पानी आने से मानक से अधिक कैमिकल व्यय में बढ़ोत्तरी करना जनहित मे किया गया। अतः इन दो मदो मे प्राविधान पुनरीक्षित किया गया है। फिर भी जलकल विभाग नई मागों का सृजन कर और मोहल्ले मोहल्ले कैम्प

Scanned by CamScanner

लगाकर व ऑन लाइन बिलिंग के माध्यम से वसूली बढ़ाते हुये लगभग रु0 4.00 करोड घाटा कम किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्त तक वसूली मे आशातीत वृद्धि का लक्ष्य पूरा कर घाटा कम करने का प्रयास किया जायेगा है।

जलकल विभाग का वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित बजट माननीय कार्यकारणी नगर निगम के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

ह0 / –
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग,
नगर निगम सदन
लखनऊ

संकल्प संख्या (115) :– सर्वसम्मति से जलकल विभाग का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 यथावत् अंगीकार किया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की बैठक समाप्त की जाती है।

(संयुक्ता भाटिया)
अध्यक्ष/महापौर
मा0 कार्यकारिणी समिति।

(संयुक्ता भाटिया)
महापौर
नगर निगम, लखनऊ

Scanned by CamScanner